समाहरणालय, जमुई

(जिला आपूर्त्ति शाखा)

आम सूचना

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा समादेश याचिका संख्या–4453/16 में दिनांक–14.12.2016 को पारित न्यायादेश के आलोक में **''बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश–2016''** में वर्णित प्रावधानों एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या–2342, दिनांक–15.02.2016 में निहित प्रावधानों के तहत् योग्य एवं सक्षम आवेदकों से जन वितरण प्रणाली की दूकान की अनुज्ञप्ति हेतु अनुमंडलवार/कोटिवार रिक्तियों के विरूद्ध नये रूप से विहित प्रपत्र में आनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। अनुमंडलवार/कोटिवार जन वितरण प्रणाली दूकान की रिक्ति 158 है।

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार द्वारा आरक्षण के संबंध में जारी किये गये विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुरूप ही नियुक्तियाँ की जायेगी। पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 03 प्रतिशत ऊर्ध्वाधर आरक्षण के तहत जबकि दिव्यांगता आधारित 03 प्रतिशत का आरक्षण, महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण एवं स्वतंत्राता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी के लिए 2 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के प्रावधानानुसार आरक्षण का लाभ देय होगा।

बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के आलोक में अनुज्ञप्ति निर्गत की जायेगी।

1. अनारक्षित रिक्तियों के विरूद्ध सभी वर्ग के व्यक्ति आवेदन दे सकेंगे, एवं चयन पूर्णरूपेण मेघा के आधार पर होगा, और उनकी स्थिति अनारक्षित होगी।
2. **आवेदक द्वारा दिनांक–08.12.2017 दिनांक–21.12.2017 अपराह्न 5:00 बजे तक ऑनलाईन आवेदन किया जा सकेगा।**
3. **ऑनलाईन आवेदन का लिंक जमुई जिला के वेबसाईट WWW.jamui.bih.nic.in पर PDS Delear Recruitment उपलब्ध है।**
4. प्रखंडवार/निकायवार/पंचायतवार/वार्डवार एवं कोटिवार पी0डी0एस0 रिक्ति की विस्तृत विवरणी जमुई जिला के वेबसाईट या अनुमंडल कार्यालय, जमुई के सूचना पटट् पर प्रदर्शित की गई है, जिसे देखा जा सकता है।
5. आवेदक के द्वारा दिये गये गलत अथवा भ्रामक सूचना के अधिकार पर चयन होने की स्थिति में उनको दी गई अनुज्ञप्ति को रद्द करने के साथ आवेदक के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता तथा विधि स्थापित कानून भी सुसंगत प्रावधानों के तहत अपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया जायेगा।
6. विवाद की स्थिति में जिला पदाधिकारी, जमुई का निर्णय अंतिम होगा।

जिला पदाधिकारी
जमुई।

समाहरणालय, जमुई

(जिला आपूर्त्ति शाखा)

आम सूचना

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा समादेश याचिका संख्या–4453/16 में दिनांक–14.12.2016 को पारित न्यायादेश के आलोक में **''बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश–2016''** में वर्णित प्रावधानों एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या–2342, दिनांक–15.02.2016 में निहित प्रावधानों के तहत् योग्य एवं सक्षम आवेदकों से जन वितरण प्रणाली की दूकान की अनुज्ञप्ति हेतु अनुमंडलवार/कोटिवार रिक्तियों के विरूद्ध नये रूप से विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किया जाता है। अनुमंडलवार/कोटिवार जन वितरण प्रणाली दूकान की रिक्ति निम्न प्रकार से हैः–

जिला का नाम	रिक्तियों की संख्या										अभ्युक्ति
	अनारक्षित	पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग महिला	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग महिला	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति महिला	गैर आरक्षित वर्ग महिला	कुल	
जमुई	52	13	11	18	10	16	2	9	27	158	

यदि अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित उचित मूल्य की दूकान के लिये अनुसूचित जनजाति का कोई सुयोग्य आवेदक नहीं हो, तो इसे अनुसूचित जाति के आवेदक द्वारा भरा जायेगा, और यदि अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित उचित मूल्य की दूकान के लिये अत्यन्त पिछड़ा वर्ग का कोई सुयोग्य आवेदक नहीं है, तो इसे पिछड़े वर्ग के आवेदक एवं तद्नुसार इसके विपरीत क्रम (vice versa) द्वारा भरा जायेगा।

अनारक्षित रिक्तियों के विरूद्ध सभी वर्ग के व्यक्ति आवेदन दे सकेंगे, एवं चयन पूर्णरूपेण मेधा के आधार पर होगा, और उनकी स्थिति अनारक्षित होगी।

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार द्वारा आरक्षण के संबंध में जारी किये गये विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुरूप ही नियुक्तियाँ की जायेगी। पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 03 प्रतिशत ऊर्ध्वाधर आरक्षण के तहत जबकि दिव्यांगता आधारित 03 प्रतिशत का आरक्षण, महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण एवं स्वतंत्राता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी के लिए 2 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के प्रावधानानुसार आरक्षण का लाभ देय होगा।

1. **उचित मूल्य की दूकान के आवंटन में प्राथमिकताऐं निम्न प्रकार से होगी।**

   (i) स्वयं सहायता समूह **(ii)** महिलाओं की सहयोग समितियाँ **(iii)** पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ **(iv)** शिक्षित बेरोजगार **(v)** संबंधित पंचायत अथवा वार्ड के निवासी को प्राथमिकता दी जाऐगी।

2. उचित मूल्य की दूकान की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदक मैट्रिक पास और व्यस्क हो। परंतु कम्प्यूटर ज्ञान रखने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी। कम्प्यूटर ज्ञान भी समानता होने पर अधिक योग्य का और उसमें भी समानता होने पर अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता दी जायेगी।

3. **उचित मूल्य की दूकान की अनुज्ञप्ति प्राप्ति की निरर्हताएँः–**

   (i) एक संयुक्त परिवार में एक से अधिक सदस्य को उचित मूल्य की दूकान आवंटित नहीं की जायेगी। पिता, माता, भाई, भाई की पत्नी (भाभी) पति, पत्नी, पुत्रवधु और सौतेला भाई परिवार की **परिभाषा** में आयेगें।

   (ii) मुखिया, सरपंच, पंच वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के दिस्य, जिला **परिषद** के सदस्य, विधायक, विधान **पार्षद**, सांसद तथा नगर निकायों के निर्वाचित सदस्य इस रूप में अपने कार्यकाल तक उचित मूल्य की दूकान की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु निरर्हित (Disqualified) रहेंगे।

   (iii) आटा चक्की के मालिक एवं उसके निकट संबंधियों को उचित मूल्य की दूकान आवंटित नहीं की जायेगी।

(iv) अवयस्क या पागल या दिवालिया को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी।

(v) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) के अधीन अथवा अन्य किसी आपराधिक मामलें में अंतिम रूप से न्यायालय द्वारा सिद्ध दोष व्यक्ति को उचित मूल्य की दूकान आवंटित नहीं की जायेगी।

(vi) सरकार में लाभ का पद धारण करने वाले को उचित मूल्य की दूकान आवंटित नहीं की जायेगी। समय–समय पर बिहार लक्षित सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

4. **(i) इच्छुक व्यक्ति विहित प्रपत्र अनुसूची–1 में अपना ऑनलाईन आवेदन करेंगे। जिसके साथ फोटो/आवासीय प्रमाण पत्र/शैक्षणिक योग्यता/कम्प्यूटर जानकारी प्रमाण पत्र/व्यापार स्थल का विवरणी संबंधित कागजात/आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी हेतु जाति प्रमाण पत्र/अनियोजन प्रमाण पत्र/दिव्यांग श्रेणी के आरक्षण हेतु दिव्यांगता प्रमाण पत्र/आचरण प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र यदि कोई है की छायाप्रति भी Upload करना अनिवार्य है।**

(ii) स्वयं सहायता समूह, महिलाओं/पूर्व सैनिको की सहयोग समितियाँ के लिए अनुसूची–2 में अपना ऑनलाईन आवेदन करेंगे। जिसके साथ फोटो/कम्प्यूटर जानकारी प्रमाण पत्र/व्यापार स्थल का विवरण संबंधी कागजात/आरक्षण के दावा की स्थिति में प्रबंध समिति के प्रधान सहित सभी सदस्यों का जाति प्रमाण पत्र/ प्रबंध समिति के अध्यक्ष/प्रधान एवं सदस्यों का निर्वाचन प्रमाण पत्र की छायाप्रति/पर्याप्त पूंजी साक्ष्य हेतु बैंक खाता विवरणी एवं अन्य प्रमाण यदि कोई है की छायाप्रति भी Upload करना अनिवार्य है।

(iii) आवेदक द्वारा दिनांक–08.12.2017 से दिनांक–21.12.2017 अपराह्न 5:00 बजे तक ऑनलाईन आवेदन किया जा सकेगा।

ऑनलाईन आवेदन का लिंक जमुई जिला के वेबसाईट WWW.jamui.bih.nic.in पर PDS Delear Recruitment उपलब्ध है। Online Application for PDS Deler वेबसाईट खुलेगा। इस पेज पर Click here to Online Apply पर Click करना होगा, इसके बाद New Registration पर Click करें और आपना विवरण भरे। ऑनलाईन आवेदन हेतु E-mail ID एवं मोबाईल नंबर अनिवार्य है। E-mail ID एवं मोबाईल नंबर पर प्राप्त OTP से सम्पुष्टि होने के उपरांत ही Registration होगा। Registration के उपरांत E-mail ID एवं मोबाईल नंबर पर प्राप्त User ID एवं Password से Login कर ही ऑनलाईन आवेदन भरा जा सकेगा।

फॉर्म भरने के पूर्व आवेदक उपरोक्त वर्णित सभी दस्तावेज (Documents), फोटो, हस्ताक्षर Scan कर लेगें तथा Login करने के बाद अपना Personal Details, Shop Detail, Extra Information, Photo, Signature Upload कर फॉर्म को Finalize कर Print Out निकाल ले और उस पर हस्ताक्षर कर संबंधित Document के साथ अनिवार्य रूप से अनुमंडल कार्यालय, जमुई को निबंधित डाक से भेजना सुनिश्चित करेंगे तभी आवेदन मान्य होगा।

(iv) प्रखंडवार/निकायवार/पंचायतवार/वार्डवार एवं कोटिवार पी0डी0एस0 रिक्ति की विस्तृत विवरणी जमुई जिला के वेबसाईट या अनुमंडल कार्यालय, जमुई के सूचना पटट् पर प्रदर्शित की गई है, जिसे देखा जा सकता है।

5. आवेदक के द्वारा दिये गये गलत अथवा भ्रामक सूचना के अधिकार पर चयन होने की स्थिति में उनको दी गई अनुज्ञप्ति को रद्द करने के साथ आवेदक के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता तथा विधि स्थापित कानून भी सुसंगत प्रावधानों के तहत अपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया जायेगा।

6. विवाद की स्थिति में जिला पदाधिकारी, जमुई का निर्णय अंतिम होगा।

जिला पदाधिकारी
जमुई।

जन वितरण प्रणाली दुकनों का चयन हेतु 100 विन्दु के आधार पर आदर्श रोस्टर

प्रखंड का नाम	पंचायत का नाम	वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर पंचायत/शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या	वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर दुकानों की आवश्यकता	वर्त्तमान में कार्यरत जन वितरण प्रणाली अन्तर्गत दुकानों की संख्या	रिक्ति	रोस्टर बिन्दु	आरक्षण कोटि
1	2	3	4	5	6	7	8
बरहट	बरहट	12297	6	5	1	1	अनारक्षित
	मलयपुर	12657	6	5	1	2	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
	पाड़ो	13518	7	6	1	3	गैर आरक्षित वर्ग महिला
	बरियारपुर	6037	3	2	1	4	अनुसूचित जाति
	लखैय	10627	5	4	1	5	अनारक्षित
	कटौना	11328	5	4	1	6	पिछड़ा वर्ग
लक्ष्मीपुर	मड़ैया	11971	6	4	2	7	अनारक्षित
						8	अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला
	ककनचौर	9314	4	2	2	9	गैर आरक्षित वर्ग महिला
						10	अनुसूचित जाति महिला
	खिलार	9643	5	4	1	11	अनारक्षित
गिद्धौर	कुन्धुर	7596	4	2	2	12	पिछड़ा वर्ग महिला
						13	अनारक्षित
	कोल्हुआ	11645	6	2	4	14	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
						15	गैर आरक्षित वर्ग महिला
						16	अनुसूचित जाति
						17	अनारक्षित
	मौरा	8991	4	3	1	18	पिछड़ा वर्ग की महिला
	पतसंडा	10622	5	2	3	19	अनारक्षित
						20	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
						21	गैर आरक्षित वर्ग महिला
	सेवा	12352	6	4	2	22	पिछड़ा वर्ग
						23	अनारक्षित
	पूर्वी गुगुलडीह	7706	4	2	2	24	अनुसूचित जाति महिला
						25	अनारक्षित
जमुई	काकन	12601	6	3	3	26	अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला
						27	गैर आरक्षित वर्ग महिला
						28	अनुसूचित जाति
	लखनपुर	13213	6	3	3	29	अनारक्षित
						30	पिछड़ा वर्ग
						31	अनारक्षित
	कुन्दरी सनकुरहा	12576	6	3	3	32	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
						33	गैर आरक्षित वर्ग महिला
						34	अनुसूचित जाति
	अड़सार	13796	7	1	6	35	अनारक्षित
						36	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
						37	अनारक्षित
						38	पिछड़ा वर्ग महिला

जमुई						39	गैर आरक्षित वर्ग महिला
						40	अनुसूचित जाति महिला
	चौडिहा	12128	6	5	1	41	अनारक्षित
	अगहराबरूअटा	13576	7	3	4	42	अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला
						43	अनारक्षित
						44	अनुसूचित जनजाति
						45	गैर आरक्षित वर्ग महिला
	अमरथ	14304	7	4	3	46	पिछड़ा वर्ग
						47	अनारक्षित
						48	अनुसूचित जाति
	इन्दपै	4336	2	1	1	49	गैर आरक्षित वर्ग महिला
	गरसंडा	10954	5	4	1	50	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
जमुई नगर परिषद	वार्ड नं0–01	2812	2	0	2	51	अनारक्षित
						52	पिछड़ा वर्ग की महिला
	वार्ड नं0–03	1747	1	0	1	53	अनारक्षित
	वार्ड नं0–15	3132	2	1	1	54	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
	वार्ड नं0–18	4736	3	1	2	55	गैर आरक्षित वर्ग महिला
						56	अनुसूचित जाति
	वार्ड नं0–20	3227	2	1	1	57	अनारक्षित
	वार्ड नं0–27	3401	2	1	1	58	पिछड़ा वर्ग
सिकन्दरा	पोहे	11546	6	5	1	59	अनारक्षित
	गोखुला फतेहपुर	10814	5	4	1	60	अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला
	मथुरापुर	12066	6	3	3	61	गैर आरक्षित वर्ग महिला
						62	अनुसूचित जाति महिला
						63	अनारक्षित
	भुल्लो	9735	5	3	2	64	पिछड़ा वर्ग महिला
						65	अनारक्षित
	सबलबीघा	11027	5	4	1	66	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
	सिझौड़ी	10372	5	4	1	67	गैर आरक्षित वर्ग महिला
	विछवे	9682	5	4	1	68	अनुसूचित जाति
	ईटासागर	9562	5	3	2	69	अनारक्षित
						70	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
अलीगंज	कैथा	8272	4	3	1	71	अनारक्षित
	आढ़ा	13638	7	2	5	72	पिछड़ा वर्ग
						73	गैर आरक्षित वर्ग महिला
						74	अनुसूचित जाति
						75	अनारक्षित
						76	अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला
	अवगिला चौरासा	11020	5	2	3	77	अनारक्षित
						78	अनुसूचित जाति महिला
						79	गैर आरक्षित वर्ग महिला
	इस्लामनगर	11735	6	4	2	80	पिछड़ा वर्ग
						81	अनारक्षित

अलीगंज	कोदवरिया	10927	5	3	2	82	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
						83	अनारक्षित
	दीननगर	9066	4	2	2	84	पिछड़ा वर्ग की महिला
						85	गैर आरक्षित वर्ग महिला
	सहोड़ा	11170	5	3	2	86	अनुसूचित जाति
						87	अनारक्षित
	अलीगंज	11818	6	5	1	88	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
	मिर्जागंज	9617	5	4	1	89	अनारक्षित
खैरा	अमारी	14552	7	4	3	90	पिछड़ा वर्ग महिला
						91	गैर आरक्षित वर्ग महिला
						92	अनुसूचित जाति
	खैरा	10298	5	3	2	93	अनारक्षित
						94	अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला
	केन्डीह	11956	6	5	1	95	अनारक्षित
	रायपुरा	10849	5	3	2	96	पिछड़ा वर्ग
						97	गैर आरक्षित वर्ग महिला
	भिमाईन	12132	6	4	2	98	अनुसूचित जाति महिला
						99	अनारक्षित
	बानपुर	5836	3	2	1	100	अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला
	खड़ाईच	13970	7	5	2	101	अनारक्षित
						102	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
	अरूणमाबांक	15287	8	7	1	103	गैर आरक्षित वर्ग महिला
	जितझिगोई	10583	5	4	1	104	अनुसूचित जाति
	झुण्डो	11006	5	3	2	105	अनारक्षित
						106	पिछड़ा वर्ग
झाझा	कानन	9166	4	3	1	107	अनारक्षित
	बैजला	12150	6	4	2	108	अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला
						109	गैर आरक्षित वर्ग महिला
	बलियाडीह	11984	6	4	2	110	अनुसूचित जाति महिला
						111	अनारक्षित
	पैरगाहा	12013	6	4	2	112	पिछड़ा वर्ग महिला
						113	अनारक्षित
	करमा	12780	6	5	1	114	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
	कनौदी	12565	6	4	2	115	गैर आरक्षित वर्ग महिला
						116	अनुसूचित जाति
	खुरण्डा	9915	5	3	2	117	अनारक्षित
						118	पिछड़ा वर्ग की महिला
	टेलवाबाजार	10924	5	2	3	119	अनारक्षित
						120	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
						121	गैर आरक्षित वर्ग महिला
	सारेवाद	16345	8	5	3	122	पिछड़ा वर्ग
						123	अनारक्षित
						124	अनुसूचित जाति महिला

सोनो	रजौन	12661	6	4	2	125 अनारक्षित
						126 अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला
	पैरामटिहाना	11345	5	4	1	127 गैर आरक्षित वर्ग महिला
	बेलम्बा	12365	6	4	2	128 अनुसूचित जाति
						129 अनारक्षित
चकाई	बोंगी	6772	3	2	1	130 पिछड़ा वर्ग
	पोझा	12318	6	5	1	131 अनारक्षित
	परोंची	11885	6	3	3	132 अत्यंत पिछड़ा वर्ग
						133 गैर आरक्षित वर्ग महिला
						134 अनुसूचित जाति
	रामचन्द्रडीह	11726	6	3	3	135 अनारक्षित
						136 अत्यंत पिछड़ा वर्ग
						137 अनारक्षित
	बामदह	10809	5	3	2	138 पिछड़ा वर्ग महिला
						139 गैर आरक्षित वर्ग महिला
	ठाढ़ी	6431	3	2	1	140 अनुसूचित जाति महिला
	चन्द्रमंडी	12514	6	5	1	141 अनारक्षित
	रामसिंहडीह	7553	3	2	1	142 अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला
	कल्याणपुर	8699	4	3	1	143 अनारक्षित
	नावाडीह	9775	5	4	1	144 अनुसूचित जनजाति
	धुटवे	10650	5	4	1	145 गैर आरक्षित वर्ग महिला
	डढवा	11852	6	5	1	146 पिछड़ा वर्ग
	कियाजोरी	10810	5	3	2	147 अनारक्षित
						148 अनुसूचित जाति
	पेटरपहरी	13441	7	6	1	149 गैर आरक्षित वर्ग महिला
	फरियताडीह	10196	5	4	1	150 अत्यंत पिछड़ा वर्ग
	सरौन	12274	6	4	2	151 अनारक्षित
						152 पिछड़ा वर्ग की महिला
	गजही	11871	6	3	3	153 अनारक्षित
						154 अत्यंत पिछड़ा वर्ग
						155 गैर आरक्षित वर्ग महिला
	नौआडीह	11056	5	3	2	156 अनुसूचित जाति
						157 अनारक्षित
	दुलमपुर	8978	5	4	1	158 पिछड़ा वर्ग
कुल :–			452	294	158	

28.4.17

अनुमंडल पदाधिकारी, जमुई।